आयोजनेत्तर

संख्याः /XVII(2)/2007-09(16)/2007

प्रेषक,

**राधा रतूड़ी,**
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

**निदेशक,**
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग देहरादूनःदिनांक 23 अगस्त, 2007

विषयः **चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक में सैनिक कल्याण विभाग से संबंधित अनुदान संख्या–15 के आयोजनेत्तर पक्ष में विभिन्न मदों में प्राविधानित धनराशियों के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 599/XXVII(1)/2007 दिनांक 12 जुलाई, 2007 एवं शासनादेश/संशोधित शासनादेश दिनांक 04 अप्रैल, 22 जून एवं 30 जुलाई की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक में सैनिक कल्याण विभाग से संबंधित अनुदान संख्या–15 के आयोजनेत्तर पक्ष की अवचनबद्ध मदों मे प्राविधानित धनराशियों को संलग्नक के अनुसार **रुपये 12,83,000.00 (रुपये बारह लाख तिरासी हजार मात्र)** की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में वित्त विभाग के उक्त शासनादेश एवं निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. अनुदान के अंतर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।
2. आय–व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नए कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
3. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
4. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आंवटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहे वह वेतन आदि के संबंध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के संबंध में, सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी और लाल स्याही से अनुदान संख्या–15 तथ आयोजनेत्तर शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार, कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।
5. उक्त अवचनबद्ध मदों में व्यय करने से पूर्व शासन की स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

6. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिये यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिविगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।
7. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–599/XXVII(1)/2007 दिनांक 12 जुलाई, 2007 में उल्लिखित अन्य शर्तों एवं दिशा–निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
8. मितव्ययता के संबंध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
9. यदि किसी अधिष्ठान/योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि की मांग का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।
11. समस्त चालू निर्माण कार्य, नए निर्माण कार्य, उपकरण व संयंत्र का क्रय, वाहन का क्रय एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर/सापटेयर का क्रय की स्वीकृतियों के लिए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन पर यथाआवश्यक शासन की अनुमति प्राप्त कर ली जाये तथा लघु निर्माण कार्यों में पारदर्शिता लाने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार के माध्यम से कार्य सम्पादित कराये जायें।
12. बी0एम0–13 पर संकलित मासिक सूचनाएँ नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
13. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के अंतर्गत संलग्न तालिका में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा।
14. यह स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः– 281(P)/वि0अनु0 –3/2007 दिनांक 19 अगस्त, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी की जा रही है।

**संलग्नकः यथोपरि।**

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 771 (1)/XVII(2)/2007-09(16)/2007 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढवाल, उत्तराखण्ड।
5. जिलाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

शासनादेश संख्याः 237 /XVII(2)/2007, दिनांक 23 अगस्त, 2007 का संलग्नक

1. अनुदान संख्या–15 - आयोजनेत्तर मतदेय

| | | |
|---|---|---|
| लेखाशीर्षक | : | 2235–60–200–03–01 |
| मुख्य शीर्षक | : | 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण |
| उप मुख्य शीर्षक | : | 02–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम |
| लघु शीर्षक | : | 200–अन्य कार्यक्रम |
| उप शीर्षक | : | 03–सैनिक कल्याण |
| ब्यौरेवार शीर्षक | : | 01–सैनिक मुख्यालय |

(धनराशि हजार रुपये में)

| मानक मद | आवंटित धनराशि |
|---|---|
| 25–लघु निर्माण कार्य | 300 |
| 26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र | 100 |
| 29–अनुरक्षण | 633 |
| 42–अन्य व्यय | 150 |
| 46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/सापटवेयर का क्रय | 100 |
| योग | 1283 |

(रुपये बारह लाख तेरासी हजार मात्र)

(राधा रतूड़ी)
सचिव।